

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 341
(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

341. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु सिनेमा के निर्माण के दीर्घकालीन इतिहास और उसे हाल ही में प्राप्त हुई वैश्विक मान्यता को ध्यान में रखते हुए वहां पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना करने हेतु उसे एक संभावित स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार अन्य राज्यों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) के लिए अतिरिक्त एनसीओई की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यंग क्रिएटर्स के लिए सामग्री निर्माण में क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन इन्सटीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आईआईसीटी) की स्थापना को अनुमोदित किया है ताकि इस उद्योग द्वारा अपेक्षित कौशलों को विकसित किया जा सके और निखारा जा सके। इससे डिजिटल क्रिएटर्स को भी सहायता मिलेगी और क्रिएटर इकोनॉमी में वृद्धि होगी। इस अनुमोदन में विकास के हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से राज्यों के सहयोग से कम से कम पांच क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना शामिल है।